न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-23RAAJodhpur2023-13RTA225 Tulchhai ors Vs Madanlal etc

01. तुलछाई पत्नी श्री गोपाराम एवं पुत्री श्री रामचन्द्र, जाति बिश्नोई, निवासी- फिटकासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
02. पेमीदेवी पत्नी श्री आसुराम एवं पुत्री श्री रामचन्द्र, जाति बिश्नोई, निवासी- जोलियाली, तहसील व जिला जोधपुर।
03. फम्बुदेवी पत्नी श्री छोगाराम एवं पुत्री श्री रामचन्द्र, जाति बिश्नोई, निवासी- तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
04. भानाराम पुत्र श्री रामचन्द्र
05. सोनाराम पुत्र श्री रामचन्द्र, दोनो जातियान् बिश्नोई, निवासीगण- बेरु, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मदनलाल पुत्र श्री गुदड़राम, जाति जाट, निवासी- भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 मदनलाल बनाम भानाराम

उपस्थित-
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 19 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 मदनलाल बनाम भानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 202 ग्राम भावी(जेबी) में आने-जाने हेतु अपीलांट्स /अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 199 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए,बी,सी,डी,ई, रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससें व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों पर भेजे गये नोटिस को गलत रुप से तामील मानकर प्रकरण में आगे कार्यवाही करने में भारी भूल कारित की है। अपीलांट तुलछाई ग्राम फिटकासनी एवं अपीलांट पेमादेवी ग्राम जोलियाली की निवासिनी है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा इन पर तामील हेतु सम्मन केरु में भेजना बताया गया है। इसी प्रकार भानाराम एवं सोनाराम भी ग्राम बेरु के निवासी हैं,

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उनके नोटिस केरु में क्यों व कैसे भेजे, का कोई हवाला नहीं दिया। वहां नोटिस किसने प्राप्त किये, उसका का भी जिक्र नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकार गोलकी दिनांक 28.04.2022 को फौत हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान में रखकर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मौके पर चलायमान रास्ते को अपीलांट्स ने अवरोधित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णित नहीं किया जाकर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने से विचारण न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से भी बाधित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाईका अवसर प्रदान किये बिना पारित किये जाने से अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पायी। अपीलांट फम्बुदेवी दिनांक 14.12.2022 को अपने खेत में गई तो वहां तारबंदी तोड़ी हुई पाई, तब अपने पति जो जैसलमेर में खेती कर रहे है, को सूचना दी, तब दिनांक 15.12.2022 को गावं आये व लोगो से पता किया तो बताया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तब स्वयं अपनी पत्नी के साथ उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के कार्यालय से आलौच्य निर्णय की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट्स को जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन

19.2.25
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 मदनलाल बनाम भानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर कोई निकटतम एवं लघुतम मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही कम नुकसान वाला बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर रास्ता चलायमान है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

19.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 08.10.2021 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी खसरा नं. 202 में आवागमन हेतु खसरा नं. 199 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं बताया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा भी रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 मदनलाल बनाम भानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर